परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१७

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एच दिनांक 01.03.2002 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्निसित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, निम्नलिखित विद्यमान परन्तुक,-

"परन्तु क्र.सं. 2 और क्र.सं.3 पर उल्लिखित यानों की दशा में कर की रकम एक मोटर यान के लिए 25000/- रु. (पच्चीस हजार) से अधिक नहीं होगी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु क्रम संख्यांक 2 की मद (2) और (3) पर उल्लिखित यानों की दशा में कर की रकम एक मोटर यान के लिए 35000/- रु. (पैतीस हजार) से अधिक नहीं होगी।"

> [सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3एन] राज्यपाल के आदेश से,

> > **डॉ. मनीषा अरोड़ा,** संयुक्त शासन सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/3H dated 01.03.2002, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the table of the said notification, following existing proviso:-

"Provided that in case of vehicles mentioned at S. No. 2 and S.No. 3, the amount of tax shall not exceed Rs. 25000/- (Twenty Five Thousand) for one motor vehicle"

shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that in case of vehicles mentioned at item (2) and (3) of Serial number 2 the amount of tax shall not exceed Rs. 35000/- (Thirty Five Thousand) for one motor vehicle."

[F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/3N] By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government